

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.- 3679

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

शिक्षक पात्रता परीक्षा में पुनः बैठने के संबंध में शिक्षकों की प्रतिक्रिया

†3679. श्री ईशा खान चौधरी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सहित देश में बड़ी संख्या में कार्यरत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कई वर्षों तक सेवा देने के बाद पुनः शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बैठने का विरोध कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को शिक्षक संघों या अन्य हितधारकों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कार्यरत शिक्षकों को टीईटी में पुनः उपस्थित होने की किसी भी अनिवार्यता से छूट देने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
- (ग) क्या सरकार ने अनुभवी कार्यरत शिक्षकों के लिए पुनः टीईटी देने की आवश्यकता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता के संबंध में ऐसे शिक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
- (घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिवत नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों को वर्षों की सेवा के बाद पुनः टीईटी में बैठने की आवश्यकता न हो, उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने सहित कोई उचित उपाय करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें तथा तैनाती संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आती हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता से प्रभावित होने वाले सेवारत शिक्षकों से संबंधित जानकारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखी जाती है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 01.09.2025 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

(आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 23 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं में से एक है, और अधिनियम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह निदेशित किया कि पात्र शिक्षकों को निर्णय में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित टीईटी अर्हता प्राप्त करनी होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2018/36466/36466_2018_9_1501_63764_Judgement_01-Sep-2025.pdf

तत्पश्चात, इस मामले में पुनर्विलोकन याचिकाओं का निपटारा करते हुए, दिनांक 29.05.2026 के निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टीईटी अर्हता प्राप्त करने की समय-सीमा को दिनांक 31.08.2027 से बढ़ाकर 31.08.2028 कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि संबंधित समुचित सरकारें/प्राधिकारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का समय-समय पर, अधिमानतः वर्ष में दो बार तथा दो क्रमिक परीक्षाओं के बीच लगभग छह माह का अंतर रखते हुए आयोजन करने का प्रयास करें, ताकि पात्र शिक्षकों को विहित न्यूनतम अर्हता की प्राप्ति हेतु युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध हो सके। दिनांक 29.05.2026 का यह निर्णय निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53434/53434_2025_7_1501_71637_Judgement_29-May-2026.pdf

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अधिनियमन से पूर्व भर्ती किए गए कार्यरत शिक्षकों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश दिया कि ऐसे शिक्षक जिनकी दिनांक 01.09.2025 के निर्णय की तारीख तक की स्थिति के अनुसार शेष सेवा अवधि पाँच वर्ष से कम है, वे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अर्हता प्राप्त किए बिना अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रह सकते हैं। माननीय न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे जब तक वे निर्धारित टीईटी अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते।
